

**कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।**

E-mail:nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक- २६३२ / FP/UK/RAIL/148846/2021 :देहरादून: दिनांक: १७ मई, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड, देहरादून।

विषय:- जनपद-रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत 126 कि०मी० ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्राड गेज रेल लाईन निर्माण हेतु 1.455 है० वन भूमि का (to provide stability to Tunnel T 14) गैर वानिकी कार्यों हेतु रेल विकास निगम लि० को प्रत्यावर्तन। PROPOSAL NO.- FP/UK/RAIL/148846/2021

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या-8बी./यू.सी.पी./07/31/2022/एफ.सी./759 दिनांक 30.08.2022।

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी की पत्र संख्या-2716/12-1 दिनांक 10.05.2023 (प्रति संलग्न) के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित है :-

क्र०सं०	शर्त का विवरण	अनुपालन
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
3	प्रतिपूरक वनीकरण:-	
(क)	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 2.91 है० अवनत वन भूमि लनगाड़ क०सं०-4अ पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिये।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
(ग)	वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी०ए० क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त सी०ए० क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है। उक्त संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-1)
(घ)	प्रत्यावर्तित किये जाने वाले क्षेत्र की के०एम०एल० फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस०एम०सी० कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू०एल०एम०पी० क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

	से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।	
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन एवं और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्राविधान शामिल किये जा सकते हैं।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन एवं और स्तंभन एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव की लागत रुपये 11,87,257.00 (ग्यारह लाख सत्तासी हजार, दो सौ सत्तावन) मात्र की धनराशि अग्रिम रूप से कैम्पा कोष में जमा कर दी गई है। (संलग्नक-2)
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य	
(क)	इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WC (C) संख्या: 202/1995 में 1A नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998- एफ0सी0 ; च्जण्डद दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006- एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.455 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त के अनुपालन में इस प्रस्ताव के तहत 1.455 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य रुपये 18,81,097.00 (अट्ठारह लाख, इक्यासी हजार, सत्तानवे) मात्र की धनराशि कैम्पा कोष में जमा कर दी गई है। (संलग्नक-2 के अनुसार)
(ख)	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है, तो बड़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बचनबद्धता प्रस्तुत की गई है। (संलग्नक-3)
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जो कि प्रस्ताव के अनुसार 25 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में कुल रुपये 30,68,354.00 (तीस लाख, अड़सठ हजार, तीन सौ चत्वन) मात्र की धनराशि ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किया की गई है। (संलग्नक-2 के अनुसार)
8	गाईडलाइन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया

	पैरा 11.2 के अनुसार . राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
9	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा तथा संबंधित प्रमाण पत्र पूर्व में पोर्टल पर अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न कर प्रेषित कर दिये गये हैं।
10	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त लागू नहीं है।
11	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
12	वन भूमि पर श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
13	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
14	सम्बन्धित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा। जिस पर Forward/Backward bearing अंकित हो।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
15	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
16	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
17	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
18	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

	परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-एफसी दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	
19	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
20	प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जायेगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
21	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
22	अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) पर अपलोड की जाएगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस0एस0 रसाईली)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या- 2632 / FP/UK/RAIL/148846/2021 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी की पत्र संख्या-2716/12-1 दिनांक 10.05.2023 के क्रम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

(एस0एस0 रसाईली)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

0/L